



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052024-254349
CG-DL-E-27052024-254349

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2007]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 27, 2024/ज्येष्ठ 6, 1946

No. 2007]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 27, 2024/JYAISHTHA 6, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2024

(आय-कर)

का.आ. 2106(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 206गगक की उप-धारा (3) के परंतुक के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक को उक्त खंड में निर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[सं. 46/2024/एफ. सं. 370142/8/2024-टीपीएल]

खुशबू लाठर, अवर सचिव